राजस्व वाद संख्याः– 16/2017
सायर कवँर बनाम बजरंग सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 09.10.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :–

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 16/2017

सायर कवँर पुत्री अनेसिंह पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत, पेशा खेती, निवासी ढाणी श्योराणी, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं हाल आबाद जसवंतपूरा तहसील राजगढ़, जिला चूरू राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. पवन सिंह पुत्र भंवर सिंह उम्र 25 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. लक्ष्मी देवी पत्नी भंवरसिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. गुड्डी कंवर पुत्री भंवरसिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी गुलाब सिंह जाति राजपूत निवासी जसवंतपुरा तहसील राजगढ़, जिला चूरू राजस्थान।
5. संतोष कॅवर पुत्री भंवरसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी विजय सिंह जाति राजपूत निवासी गॉव माखर तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान।
6. सुन्दरी कॅवर पुत्री भंवर सिंह उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी गांव अरायला तहसील तारानगर जिला चूरू राज0।
7. अंतर कॅवर पुत्र भंवर सिंह उम्र 24 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी राजूसिंह जाति राजपूत निवासी गॉव बिजोली का बास तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं राज0।
8. रत्ना कॅवर पुत्री भंवर सिंह उम्र 20 वर्ष, जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी सुरेश सिंह जाति राजपूत निवासी गांव बिजोली का बास तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं राज0।
9. सुरजभान सिह पुत्र स्व. श्री अनेसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

10. रामसिंह पुत्र लादूसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

11. शेरसिंह पुत्र स्व. लादूसिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

12. रोहताश सिंह पुत्र स्व. लादूसिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

13. राजेश पुत्र स्व. लादूसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

14. प्रेम सिंह पुत्र स्व. लादूसिंह उम्र 26 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

15. श्रीमती ज्ञानबाई पत्नि स्व. लादूसिंह उम्र 78 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

16. केलाबाई पुत्री स्व. लादूसिंह उम्र 31 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नि तेजपाल सिंह गांव कैलाना का बास तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ राज0।

17. सुरेश बाई पुत्री स्व. लादूसिंह उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नि सतबीर सिंह गांव कैलाना का बास तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ राज0।

18. सुमित्रा पुत्री स्व. लादूसिंह उम्र 24 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नि रूगवीर सिंह गांव चांदगोठी तहसील राजगढ़, जिला चूरू राज0।

19. बलबीर सिंह पुत्र स्व. गणपत सिंह उम्र 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

20. जसवंत सिंह पुत्र स्व. गणपत सिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

21. श्रीमती सुखिया पत्नि स्व. गणपत सिंह उम्र 80 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

22. श्रीमती विमला पुत्री स्व. गणपत सिंह उम्र 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी झाबर सिंह ग्राम चुआद तहसील जायल जिला–नागौर राज0।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

23. श्रीमती विनोद पुत्री स्व. गणपत सिंह उम्र 32 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी रेवत सिंह ग्राम चुआद तहसील जायल जिला–नागौर राज0।

24. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. गणपत सिंह उम्र 30 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी गोविन्द सिंह निवासी 68 छण्छ ग्राम सुनेचा कोठी तहसील रासियाँ नगर जिला–हनुमानगढ राज0।

25. श्रीमती माया पुत्री स्व. गणपत सिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी श्योराणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 हाल पत्नी रतन सिंह पुत्र पन्ने सिंह निवासी 68 छण्छ ग्राम सुनेचा कोठी तहसील रासियाँ नगर जिला–हनुमानगढ राज0।

26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9 सीपीसी व सेक्शन 151 सी0पी0सी0

:: निर्णय ::

दिनांक – 09.10.2023

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह है कि उक्त दावा उनवानी भंवरसिंह बनाम सूरजभान सिंह नम्बरी 117/2016 को अदालत हाजा ने दिनांक 27.07.2016 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया है जब कि उक्त दावा में कार्यवाही मात्र तहसीलदार सूरजगढ़ से अदालत हाजा को आराजियात मुत्तदाविया की बाबत कुरेणात मंगवाये जाने थे जो मंगवाए जाने का हुक्त पूर्व से ही उक्त दावा में पूर्व अदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दिनांक 29.11.2005 को कर दिया था। मात्र इस सम्बन्ध में तहसीलदार सूरजगढ़ को तहरीर जारी करनी थी जो जारी नही हुई। ऐसी सूरत में न्यायहित में टेक्निकल कारण से उक्त दावा को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था उक्त दावा श्रीमान जी की अदालत हाजा में उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत से मुन्तकिल होकर पेश हुआ है। जिस सनवाई का नोटिस श्रीमान जी की अदालत हाजा से प्रार्थया/प्रतिवादिया नम्बर 19 को जारी नही हुआ जब कि तलबी का अदालती नोटिस सम्बन्धित पक्षकारों को जारी नही हुआ जब कि तलबी का अदालती नोटिस सम्बन्धित पक्षकारों को जारी किया जाता हे। जिसकी पालना

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल में किया जाना आदेशात्मक है तथा बँटवारे के दावे में प्रतिवादीगण भी वादी समझे जाते है और उस दिन दिनांक 27.07.2016 को प्रतिवी संख्या 1 सूरजभान सिंह अदालत हाजा में मौजूद था ऐसी सूरत में अदालत हाजा को दावा खारिज नही कर अग्रीम कार्यवाही न्यायहित में दी जानी चाहिए थी अब दिनांक 30.01.2017 को प्रार्थिया के भाई सूरजभान सिंह ने उक्त दावा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने के बारे में बताया तो उक्त आदेश दिनांक 27.07.2016 की जानकारी प्रार्थिया को हुई व अब प्रार्थिया शीघ्रातिशीघ्र इस दावा हाजा को पुनः नम्बर पर लिए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है जो जानकारी के रोज से अन्दर मियाद पेश है दफा 5 कानून का फायदा दिए जाने से भी अंदर मियाद पेश है।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे की वे वादीगण को वादग्रस्त आराजियात के कब्जा–काश्त, उपभोग–उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना करे और ना ही अपने एजेंटो से ही ऐसा करावें, ना ही वादग्रस्त आराजियात किसी को रहन, वय ही करे और ना ही अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण ही करे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी भी पारित की जावें और उक्त आशय के आदेश की डिकी से प्रतिवादी संख्या 10 उप पंजीयक सूरजगढ़ को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावें। यदि तादौरान मुकदमा प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 07 वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बदखल कर देवें तो वादीगण का दखल वापसी भी विधिवत करवाया जावें।

(ग) यह कि खर्चा हर्जा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(घ) यह कि अन्य सिद्वी बहक वादीगण हो और चाही जाने से रह गई हो, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 के अन्तर्गत वादीगण को दिलायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामील जरीये सम्मन करवायी गई। एवं प्रतिवादी संख्या 4,7,8,15,16,17,19 लगायत 21, 24,25,26 की तामील जरिये चस्वानगी, डूंडी पिटवाकर व ध्वनी विस्तारक यंत्र द्वारा उद्घोषित करवा कर करवायी गयी। प्रतिवादी सं0 01 लगायत 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह तवॅर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामील उपस्थित नही आये, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल विभिन्न जमाबंदी, सत्यप्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 27.07.2016, फोटो प्रति विभाजन प्रस्ताव ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बहस में वादी वकील ने बताया की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को स्वीकार कर मूल दावा उनवानी भंवरसिंह बनाम सूरजभानसिंह वगै0 दावा बाबत खाता विभाजन मुकदमा

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 16/2017
सायर कवँर बनाम बजरंग सिंह वगै0
निर्णय दिनांकः– 09.10.2023

117/16 में अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2016 को अपास्त फरमाकर उनवानी दावा हाजा को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के वक्ता ने बताया की मूल दावा में, मैं स्वय वादी था तथा में उक्त मूल दावा उनवानी सिंह बनाम सूरजभानसिंह वगै0 दावा बाबत खाता विभाजन मुकदमा नम्बर 117/16 पुनः पर नहीं लेना चाहता हूँ । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को रिज किया फरमाया जावें। मूल दावे का अवलोकन किया गया जिसमें वादीया प्रतिवादी 19 थी। मूल दावे में वादीया द्वारा कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया किया गया।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है। वादीया मूल दावे में प्रतिवादी संख्या 19 है तथा इसके द्वारा मूल दावें में काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मूल दावा उनवानी भंवरसिंह बनाम सूरजभानसिंह वगै0 दावा बाबत खाता विभाजन मुकदमा नम्बर 117/16 को वादी पुनः नम्बर पर नहीं लेना चाहते है। वादीया नया दावा लाने के लिए स्वतन्त्र है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को खारिज किया जाता । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर
सूरजगढ़